भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3035
09 अगस्त, 2024 को पूछेजाने वाले प्रश्न का उत्तर

मानसिक स्वास्थ्य देखभाल

3035. डॉ. के. सुधाकर:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है कि देश भर के सभी निजी अस्पतालों में राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड अथवा स्वास्थ्य बीमा कार्ड अनिवार्य रूप से स्वीकार किए जाएं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे निजी अस्पतालों, जिन्होंने इन्हें स्वीकार नहीं किया, के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या सरकार की देश के सभी राज्यों में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थाएं स्थापित करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा देश भर में सार्वजनिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है और इसके लिए किए गए बजटीय आबंटनों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार द्वारा देश भर में सार्वजनिक और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए 'हब एंड स्पोक मॉडल' अपनाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के तहत अस्पतालों को राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एसएचए) द्वारा पैनलबद्ध किया जाता है और वे पैनलबद्धता के समय हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार एबी-पीएमजेएवाई लाभार्थियों को कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए बाध्य हैं।

दिनांक 30.06.2024 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 12,625 निजी अस्पतालों सहित कुल 29,281 अस्पतालों को इस योजना के तहत पैनलबद्ध किया गया है। लाभार्थी इन अस्पतालों के लिए एसएचए द्वारा अनुमोदित पैकेजों के लिए पैनलबद्ध अस्पतालों में इन-पेशेंट स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

इस योजना के तहत, स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करने में लाभार्थियों के सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली बनाई गई है। इस योजना से संबंधित शिकायतें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त होती हैं। लाभार्थी वेब आधारित पोर्टल, केन्द्रीयकृत शिकायत निवारण प्रबंधन प्रणाली (सीजीआरएमएस), केन्द्रीय एवं राज्य कॉल सेंटर, ईमेल, एसएचए को पत्र अदि सहित विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। योजना के तहत शिकायत की प्रकृति के आधार पर उपचार प्राप्त करने में लाभार्थियों को सहायता प्रदान करने सहित आवश्यक कार्रवाई की जाती है। जिला टीम शिकायत की जांच करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लाभार्थियों को उपचार प्राप्त करने में किसी भी चुनौती का सामना न करना पड़े। राज्य सरकार द्वारा दर्ज शिकायतों की स्थिति और उनके समाधान की निगरानी की जाती है। इसके अलावा, जिला कार्यान्वयन इकाइयों के निष्कर्षों के आधार पर, एसएचए दोषी अस्पतालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हैं, जिसमें उन्हें पैनल से बाहर करना भी शामिल है। एसएचए द्वारा जांच के बाद जिन अस्पतालों में उपचार से इनकार करने की शिकायतों की पुष्टि हुई है तथा उन पर की गई कार्रवाई की सूची इस प्रकार है:

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**अस्पताल का नाम**	**की गई कार्रवाई**
1	तमिलनाडु	कृष्णा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल	पैनल से हटाया गया
2	तमिलनाडु	मिंट हॉस्पिटल्स, चेन्नई, तमिलनाडु	पैनल से हटाया गया
3	तमिलनाडु	विसालम अस्पताल, नमक्कल, तमिलनाडु	पैनल से हटाया गया
4	उत्तर प्रदेश	कैलाश हॉस्पिटल और हार्ट इंस्टिट्यूट	पैनल से हटाया गया

नोट: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार

(ग) और (घ): भारत सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) कार्यान्वित कर रही है। भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम एनएमएचपी के तहत देश भर में जन स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए निम्नलिखित पहल की गई हैं:

i. सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने के उद्देश्य से जिलों को कवर करने के लिए एनएमएचपी के तहत जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) को मंजूरी दी गई है।

ii. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निमहांस) जैसे मौजूदा संस्थानों और अन्य संस्थानों को सुदृढ़ बनाया गया है।

iii. सीमित बुनियादी ढांचे वाले क्षेत्रों में भी मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय दूरस्थ (टेली) मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत एक टेली-परामर्श सेवा (टेली-मानस) शुरु किया गया है। हेल्पलाइन नंबर पर 11,76,000 से अधिक कॉलों का समाधान किया गया है।

iv. **क्षमता निर्माण**

v. **जन जागरूकता अभियान**

उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में सरकार द्वारा संचालित 47 मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल हैं, जिनमें 3 केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान नामतः राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हांस), बेंगलुरु, लोकप्रिय गोपीनाथ बोर्दोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान (एलजीबीआरआईएमएच), तेजपुर, असम और केंद्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान (सीआईपी), रांची शामिल हैं। मंत्रालय के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आवंटित बजट 1219.89 करोड़ रुपये है जिसमें एनएमएचपी, जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी), राष्ट्रीय टेली-मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनटीएमएचपी), निम्हांस (बेंगलुरु), एलजीबीआरआईएमएच (तेजपुर, असम) और सीआपी (रांची) के लिए आवंटन शामिल है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एनएमएचपी के घटक डीएमएचपी के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ङ): सरकार स्वास्थ्य सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए, विशेष रूप से सार्वजनिक और मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या में, हब और स्पोक मॉडल को सक्रिय रूप से बढ़ावा देती है:

I. **चिकित्सा महाविद्यालय/केन्द्रीय केन्द्र**: एम्स और निम्हान्स जैसे विशिष्ट संस्थान केन्द्र के रूप में कार्य करते हैं, तथा विशिष्ट परिचर्या और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

II. **स्पोक**: जिला अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्पोक के रूप में कार्य करते हैं, तथा हब के लिए रेफरल प्रणाली के साथ प्राथमिक और मध्यम परिचर्या प्रदान करते हैं।

अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एनएमएचपी के घटक डीएमएचपी के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत निधि (लाख रु. में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	24.20
2	आंध्र प्रदेश	1251.20
3	अरुणाचल प्रदेश	229.00
4	असम	420.94
5	बिहार	197.75
6	चंडीगढ़	0.00
7	छत्तीसगढ़	949.15
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	9.15
9	दिल्ली	0.00
10	गोवा	44.40
11	गुजरात	834.85
12	हरियाणा	133.47
13	हिमाचल प्रदेश	39.00
14	जम्मू और कश्मीर	145.00
15	झारखंड	215.12
16	कर्नाटक	1186.75
17	केरल	847.40
18	लद्दाख	53.50
19	लक्षद्वीप	17.88
20	मध्य प्रदेश	317.30
21	महाराष्ट्र	831.25
22	मणिपुर	366.04
23	मेघालय	164.16
24	मिजोरम	63.30
25	नागालैंड	160.04
26	ओडिशा	517.00
27	पुदुचेरी	52.59
28	पंजाब	293.00
29	राजस्थान	402.40
30	सिक्किम	48.27
31	तमिलनाडु	2909.40
32	तेलंगाना	238.25
33	त्रिपुरा	54.40
34	उत्तर प्रदेश	3248.08
35	उत्तराखंड	56.55
36	पश्चिम बंगाल	575.14

नोट:

1. उपर्युक्त डेटा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध वित्तीय प्रबंधन रिपोर्ट (एफएमआर) के अनुसार है। डेटा दिनांक 31.03.2023 तक अद्यतन किया गया है और अनंतिम है।

2. उपर्युक्त डेटा में अन्य बातों के साथ-साथ जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, उपकरण, विविध/यात्रा, कोई अन्य एनजीओ आधारित गतिविधियाँ, प्रशिक्षण आदि शामिल हैं।

******